नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान समापन भाषण

---

22 जनवरी 2020

हरियाणा विधान सभा, चंडीगढ़

हरियाणा विधान सभा द्वारा अपने नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित इस प्रबोधन कार्यक्रम में आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने और नए सदस्यों से मिलने का अवसर देने के लिए मैं माननीय विधान सभा अध्यक्ष एवं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 14वीं हरियाणा विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए हरियाणा विधान सभा और लोक सभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

मैं हरियाणा विधानसभा के लिए निर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। उन सदस्यों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ जो पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं। यह जनादेश लोगों के इस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि आप जनकल्याण एवं राष्ट्र-निर्माण हेतु जन आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे।

जनसेवा के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाना बहुत ही सौभाग्य, गौरव और जिम्मेदारी की बात है। जब मतदाता अपना मत देते हैं, तब वे निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करते हैं।

साथियो, मैं मानता हूं कि प्रत्येक विधायक राष्ट्र के आदर्शों, आशाओं और विश्वास का अभिरक्षक है। जनप्रतिनिधि के रूप में सदस्य का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। हालांकि सदस्यों को अपने विधायी कर्तव्यों का निर्वहन बेरोक-टोक करने के लिए सक्षम बनाने हेतु विशेष अधिकार दिए गए हैं किंतु इन विशेष अधिकारों के साथ कुछ दायित्व भी जुड़े हुए हैं। सदन के भीतर और बाहर गरिमापूर्ण आचरण सदस्य के प्राथमिक दायित्वों में से एक है।

विधायिका का कार्य है विधान बनाना, नीति निर्धारण करना, शासन पर विधायी निगरानी रखना और वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण रखना। दूसरी ओर कार्यपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों और नीतियों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करते हुए शासन चलाना। विधान बनाने का काम आप विधायकगण ही करते हैं।

अब मैं आप से विधायी परंपराओं और परिपाटियों की चर्चा करूंगा। इन्हें न केवल जानना आवश्यक है, अपितु उनका पालन करना नितांत आवश्यक है। विधान सभा में पीठासीन अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय को कोई भी सदस्य चुनौती नहीं दे सकता है। यदि उनको कोई आपत्ति हो, तो वे इस आशय का विचार पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यह परंपरा है। साधारणत:, अध्यक्षपीठ के निर्णयों पर आक्षेप करना संसदीय परिपाटी का उल्लंघन है, इसका सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए।

यदि कोई सदस्य अपनी बात रख रहा हो, तो दूसरे सदस्य को पीठासीन अधिकारी की ओर तब तक मुखातिब नहीं होना चाहिए, जब तक पहला वक्ता अपनी बात समाप्त नहीं कर चुका हो।

इतना ही नहीं, यदि पीठासीन अधिकारी अपने आसन पर खड़े हों, तो वक्ता सदस्य को उनके सम्मान में बैठ जाना चाहिए। यह हमारी परिपाटी है।

एक विधायक को संसदीय व्यवस्था की उच्चतम परंपराओं का ध्यान रखते हुए विधान संबंधी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। उनका आचरण और व्यवहार मर्यादित एवं विधान मंडल की गरिमा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। वाद-विवाद, चर्चा अथवा सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्यों को अशिष्ट और असंसदीय शब्दों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

सदस्यों को, जहां तक संभव हो, गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए तथा नारेबाजी, तख्ती प्रदर्शन आदि नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो अध्यक्ष जी को पर्ची भेज देनी चाहिए। सदस्यों के गर्भगृह में जाने से सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होती है। इससे सदन की छवि खराब होती है तथा जनता में विधायकों एवं सदन के प्रति नकारात्मक धारणा बनती है।

सदस्य जब कभी भाषण दें तो उन्हें उनके आवंटित स्थान से ही बोलना चाहिए। इसका हर समय पालन किया जाना चाहिए। उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वह बहुत जोर-जोर से ना बोलें, मधुरता से बोलें। अपनी वाणी को मधुर रखते हुए प्रभावी बनाएं ताकि श्रोताओं को सुनने में कर्ण प्रिय भी लगे और वह सार्थक और तार्किक हो। सही शब्दों के चयन से समृद्ध भाषणों के जादुई असर होते हैं।

आजकल सदन एवं विधान सभाओं में ऐसा भी देखा जा रहा है कि पक्ष और प्रतिपक्ष में एक-दूसरे के विचारों को सुनने के इच्छुक रहने की प्रवृत्ति कम हो रही है। हमारा देश विविधताओं वाला देश है। राजनीतिक बहुलवाद हमारे लोकतंत्र का मर्म है। इसी से सदन में वाद-विवाद में जीवंतता और सक्रियता का संचार होता है।

संसदीय अथवा विधायी आचरण का पहला सिद्धांत इस बात में विश्वास रखना है कि प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह पक्ष का हो अथवा प्रतिपक्ष का, अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है बशर्ते कि वह सदन के नियमों और परम्पराओं के भीतर रहकर अभिव्यक्त किया जाए।

सदस्यों को समझना होगा कि वाक्-स्वातंत्र्य के बिना ज्ञानपूर्ण वाद-विवाद नहीं हो सकता किंतु व्यवस्था के बिना तो वाद-विवाद हो ही नहीं सकता और इससे एक विमर्शी निकाय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

यदि संसदीय लोकतंत्र को फलना-फूलना है और गहरी जड़ें जमानी हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा। यह तभी संभव है जब इसके संजोए हुए मूल्यों को सभी संबंधित व्यक्तियों, विशेष रूप से विधायकों द्वारा आत्मसात किया जाए।

सदस्यों को अपनी बात सशक्त और भाव पूर्ण ढंग से रखनी चाहिए किन्तु उन्हें प्रचंड, अपमानजनक और व्यक्तिगत रूप से कोई बात कहने से बचना चाहिए।

सदन राष्ट्र को वाणी देने वाला मंच है। यह राष्ट्र से और राष्ट्र के लिए बोलता है। अतः सदन की कार्यवाही का बाधा रहित और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

यदि विधान सभा में निरंतर अव्यवस्था और व्यवधान की स्थिति बनी रहेगी तो समय के साथ उठने वाले प्रश्नों का समाधान करना तो दूर की बात है, सदन कार्य करने में भी समर्थ नहीं हो पाएगा।

अतः, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और राजनीतिक दलों को इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करना है कि हमारी राजनीतिक प्रणाली की प्रधान संस्थाओं का कार्य बाधारहित और सार्थक ढंग से तथा गरिमा और शालीनता के साथ संपादित हो।

इसका मतलब यह नहीं है कि विधान सभाओं को निस्तेज और नीरस बना दिया जाए। विधान सभा को एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो वाद-विवादों, तर्क-वितर्क से गुंजायमान हो तथा हाजिर-जवाबी और हास-परिहास से जीवंत हो।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लोक सभा के पिछले दो सत्रों में व्यवधान नहीं के बराबर हुआ है। पहले सत्र में तो कोई व्यवधान हुआ ही नहीं। इसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि जहां पहले सत्र की कार्य उत्पादकता 125 प्रतिशत रही, वहीं दूसरे सत्र की 115 प्रतिशत।

साथियो, किसी लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है क्योंकि जनप्रतिनिधि निरंतर जनता के साथ अंतर-संवाद करता रहता है एवं उनकी समस्याओं और चुनौतियों को भलीभांति समझते हुए सरकार के समक्ष उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को प्रस्तुत करता है।

विधायक नीति निर्माण में भी आम नागरिकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का वाहक होता है।

अत:, विधायकों का यह कर्त्तव्य बनता है कि किसी भी नीति के निर्माण के वक्त उनका पक्ष मजबूती से रखे और आम नागरिकों के सरोकारों के अनुरूप सरकार की नीतियों को यथासंभव प्रभावित करे।

विधान सभा में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता की बातों को सरकार के समक्ष पेश करने तथा सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए बहुत से साधन उपलब्ध हैं।

प्रश्न काल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब-तलब करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अत: सभी सदस्यों को प्रश्नकाल का प्रभावी उपयोग करना जरूरी है।

प्रश्न काल के अलावा शून्य काल भी सदस्यों का काल है, जिसमें जनप्रतिनिधिगण दैनिक एजेंडा से अलग विभिन्न अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। इसलिए शून्य काल का उपयोग अधिकाधिक मुद्दों को उठाने में किया जाना चाहिए।

विधान सभा की समितियां भी विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम् भूमिका निभाती है। समितियां सरकार के बजट, नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं,परियोजनाओं एवं उसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करती है और अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं।

इस प्रणाली में सदस्यों को अपने सुविचारित राय को व्यक्त करने की आज़ादी रहती है। सदस्यगण विभिन्न मुद्दों पर अपनी दलगत प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर अपनी सुविचारित राय एवं कीमती सुझाव समिति को देते हैं।

सदस्यों को समिति की बैठकों में नियमित रूप से और पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लेना चाहिए। जिस विषय पर समिति में चर्चा होती है, उस विषय की तैयारी के लिए सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री, विषय से संबंधित प्रेस क्लिपिंग्स, शोध पत्र, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट एवं इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों आदि का अध्ययन

करना चाहिए। तभी आप चर्चा के समय साक्षी से सार्थक जवाब-तलब कर पाएंगे और समिति एक प्रभावी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पाएगी।

साथियो, बजट सरकार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नीति उपकरण है और यह सरकार की प्राथमिकताओं का एक व्यापक विवरण उपलब्ध कराता है। जनता के प्रतिनिधि निकाय के रूप में विधान सभा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि बजट उपलब्ध संसाधनों के साथ राज्य की जरूरतों और जनता की अपेक्षाओं से मेल खाता हो।

बजटीय प्रक्रिया में प्रभावी विधायी भागीदारी, नियंत्रण और संतुलन स्थापित करती हैं, जो पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बजट पर विधानसभा में सार्थक और उपयोगी चर्चाएं हो सके, इसके लिए सदस्यों का क्षमता निर्माण आवश्यक है। सदस्यों को बजट प्रस्तावों की संवीक्षा से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं और अपने अधिकारों का भी ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है।

अक्सर यह देखा गया है कि संसद और विधान सभाओं में बजट पर चर्चा के समय सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम होती है तथा बिना पर्याप्त चर्चा के बजट पास हो जाता है। चूंकि बजट के माध्यम से सरकार जनकल्याण हेतु बहुत सारी योजनाएं प्रस्तुत करती है, अत: यह आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि न केवल बजट की संवीक्षा करें अपितु यह भी देख सकें कि उन योजनाओं में आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए हो रहा है कि नहीं। सदस्यों को इसके लिए पूरी तैयारी के साथ चर्चा में अधिक से अधिक भागीदारी करनी चाहिए, तभी आप सही मायने में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएंगे तथा जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे।

लोकतंत्र में विधि के अनुसार शासन चलता है। इसलिए, विधि निर्माण लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को आकार देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह जरूरी है कि विधायकों को विधायी प्रक्रियाओं के विविध पहलुओं का बोध हो।

सदन में जो भी विधेयक विचारार्थ एवं पारित करने के लिए लाया जाता है, मेरा सुझाव है कि आप उस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को ध्यान से पढें; सदन में विधेयक की विशेषताओं को रेखांकित करें और कमियों को भी सदन के समक्ष उजागर करें ताकि एक सशक्त और जनकल्याणकारी विधान बन सके।

आज के बदलते हुए परिवेश में सोशल मीडिया जानकारी प्रेषित करने के लिए सबसे तेज माध्यम है। अतः सदस्यों को तकनीकी रूप से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग के लिए सक्षम होना आवश्यक है ताकि आप अधिक से अधिक इन माध्यमों का उपयोग कर सकें।

साथियो, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक और बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको अपनी जो भी जिम्मेदारियां देश के प्रति और देशवासियों के प्रति निभानी है, उसकी सबसे बडी कुंजी यह है कि आप भारत के संविधान को अपना आदर्श मानें और संविधान में बताए गए मार्ग का ही अनुसरण करें क्योंकि संविधान का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। अत:, आप संविधान के दिशानिर्देशों का ही पालन करें।

इसके अलावा, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वह है आपका आचरण। अत: विधानसभा के अंदर एवं बाहर आपको अपना व्यवहार शालीन, उत्तम और गरिमापूर्ण बनाए रखना है। इससे आपकी और सभा, दोनों की गरिमा में बढ़ोतरी होगी। इससे आम जनता का विधायिका एवं लोकतंत्र के प्रति विश्वास सुदृढ़ होगा।

17वीं लोक सभा के गठन के पश्चात, संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस बात पर बल दिया था, मैं उसे भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को अहंकार से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। और अंत में मैं महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए शब्दों का उल्लेख करता हूं कि:-

"यह सोचना एक भ्रम है कि विधायक मतदाताओं के मार्गदर्शक हैं। मतदाता अपना मार्गदर्शन कराने के लिए प्रतिनिधियों को विधानसभा में नहीं भेजते। इसके विपरीत उन्हें जनता की इच्छाओं को ईमानदारी से पूरा करने के लिए वहां भेजा जाता है। अतः, विधायक की बजाय जनता मार्गदर्शक होती है। विधायक सेवक होते हैं और जनता स्वामी होती है।"

अत:, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि महापुरूषों के इन संदेशों को हमें सदैव अपने मन-मस्तिष्क में धारण करना है ताकि हम अपने-आपको एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर सकें।

साथियो, मुझे बताया गया कि इस प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान विधायी साधनों, विधायी कार्यों, एवं विधान सभा द्वारा किए जाने महत्वपूर्ण कार्यों जैसे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा; बजट और अनुदानों के लिए मांगों के प्रस्तावों पर चर्चा और विधान सभा समितियों के कार्यकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित एवं फलदायी चर्चा एवं विमर्श हुआ है।

मुझे पूरा विश्वास है कि इन विषयों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करना आप सभी के लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव रहा होगा। आप सभी को विभिन्न विधायी भूमिकाओं के सुचारू निर्वहन के बारे में गहन जानकारी मिली होगी जो आपको अधिक प्रभावी विधायक बनने में मदद करेगी।

मैं इस अवसर पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हरियाणा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे हरियाणा के नवनिर्वाचित विधायकों से अंतर-संवाद, चर्चा एवं विचार विमर्श करने का सुअवसर प्रदान किया है।